उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
CIN : U32201UP1999SGC024928
शक्ति भवन विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्याः–85–औसं–17/पाकालि/2023–11(5) ए0एस0/11 दिनांक 10 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों, जो कारपोरेशन के वेबसाइट **www.uppcl.org-medical** पर उपलब्ध हैं, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0–4452–औस–17/पाकालि/2009, दि0 09.12.2002 एवं आदेश सं0–3464–औ0सं0–17/पाकालि/2003 दिनांक 09.07.2003 सपठित आदेश सं0–2691–औ0सं0/पाकालि/2016 दिनांक 29.06.2016 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वि0) नोयडा क्षेत्र, नोयडा (गौतमबुद्धनगर) के पत्रांक–3749/मु0अ0 (वि0)/नो0क्षे0/नो0 दिनांक 07.12.2022 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या/संस्तुति एवं अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्साधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण–पत्र संख्या–सी0एम0ई0ई0 2245356, जो दिनांक 30.04.2023 तक वैध है, के दृष्टिगत कारपोरेशन द्वारा निर्धारित **सी0जी0एच0एस0–2014 की मानक दरों पर एतद्द्वारा तिवारी आई सेन्टर सुपर स्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, सी0–02 सी, सेक्टर–55 नोएडा (गौतमबुद्धनगर) मो0नं0–9560069168, को नेत्र रोगों के उपचार हेतु (एकल विशिष्टता के रूप में) दिनांक 30.04.2023 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है।**

उपर्युक्त चिकित्सालय में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या–2088–एन0जी0–2/एस0ई0बी0(चार)29–एन0जी0–2/78,दिनांक 24.05.78 एवं आदेश सं0–3330–औसं/2018–11(28)ए0एस0/2004(VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों एवं शर्तो के अधीन अनुमन्य होगी।

1. चिकित्सालय को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र यदि उनको प्रदान की गयी मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है तो, उस चिकित्सालय की मान्यता उस दिनांक से स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. चिकित्सालय को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
3. चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.04.2023 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
4. चिकित्सालय को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन को भेजनी होगी :–
   (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
   (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
   (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
   (घ) कार्मिक का वेतनमान।
   (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।
   (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
5. अस्पताल प्रबन्धन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह CGHS-2014 की मानक दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

क्रमशः 2/–

6. यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/– प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।

7. कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि चिकित्सालय द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने, विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डो से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालय की मान्यता समाप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्याः–85 (1)औसं–17/पाकालि/2023–तद्दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, 8वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त),(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध), उ0प्र0 पावर ट्रांस्को, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, मध्यॉंचल, लखनऊ/पूर्वान्चल, वाराणसी/पश्चिमॉंचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति–प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
8. महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, 12वॉ तल,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. प्रबन्धक, तिवारी आई सेन्टर सुपर स्पेशियलिटी आई हॉस्पिटल, सी0–02सी, सेक्टर–55 नोएडा (गौतमबुद्धनगर)।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट **www.uppcl.org-Medical/ E-Book** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
18. कट फाइल।

भवदीय,

P. Kumar 10/1/23

(प्रदीप कुमार)

उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)